21/11/17

दीवानी अधिकारी महोदय के अवकाश पर होने/अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6/12/17 को पेश हो।

6/12/17 पत्रावली पेश। ~~हुई विपक्षी प्रार्थी नहीं~~ पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध ए-तलबी आर तामील रिपोर्ट विपक्षी प्रार्थी श्री समस्त उपलब्ध की राजि० एस०टी० तलबी अपर्याप्त रूप से पेश पत्रावली तलबी में ~~से~~ 17/1/18 को पेश हो।

17.1.18 पत्रावली पेश हुई। पक्षकार अनुपस्थित आये। वादमूल का आवाज लगवाने कोई भी उप० नहीं। पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर हुआ कि पत्रावली प्रारम्भ से ही तलबी में है क्योंकि 29.3.16 से 6.12.17 तक पर्याप्त अवसर तलबाना पेश करने हेतु प्रार्थीगण को दिये जा चुके है। फिर भी प्रार्थी द्वारा लगभग दो वर्ष की अवधि में तलबाना पेश न करना न्यायालय की अवमानना तथा समय जाया करना है। अतः न्यायालय अपने विनम्र मत में प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सीपीसी खारिज योग्य मानता है। प्रार्थना खारिज किया जाता है। प्रार्थना-पत्र फैसल शुमार से नम्बर से कम किया जाकर मूलवाद के साथ नत्थी हो। शुभमस्तु।

17/1/18

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (राज०)